

प्रेषक:

अरविन्द सिंह हयांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक: 07 जनवरी, 2014

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 07 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्ष0/कु0क्ष0, एन0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 32 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 46.50 किमी0 + 01 सेतु तथा लागत ₹ 146.065 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 146.06 लाख (एक करोड़ छियालीस लाख छः हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 07 कार्य हेतु ₹ 0.70 लाख (सत्तर हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/111(2)/10-17(समा.व्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवधानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- आगणन में उल्लिखित दरों का विस्तेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो नरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्तोरशमेन्ट रुल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखापीरिशक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आद-व्यय में प्रविष्टित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0वि0
थरूड़ (टि0ग0)

5

-2-

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अयमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखापरीक्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-755/XXV/11(2)/2013 दि०: 07 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

भूवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या:- (1)/111(2)/14-51(प्र०अ०)/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/वैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

Attached True copy

अपर सहायक अभियन्ता
अरथाई खण्ड, लो०नि०वि०
थलपुड़ा (टि०ग०)

01/09/2015

शासनादेश संख्या:- 803 / 111(2)/14-51(प्रोआ0)/2013 दिनांक 07 फरवरी, 2014 का संलग्नक

(घनराशि लाख रु में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	चातू मिलीय वर्ष में व्यय हेतु अपेक्षित घनराशि
1	2	3	4	5
1	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्द्वौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग का निर्माण कार्य।	30.00	57.00	0.10
2	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत बनावस सेतु से तप्तत्रय कुण्ड व प्राकृतिक झरना तक मोटर मार्ग का निर्माण सेतु सहित निर्माण कार्य।	1.00 + 36 mt	35.95 (18.01 + 27.94 उत्तरखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
3	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत नन्दगांव सम्पर्क मार्ग का अपशेष कार्य।	1.00	5.85	0.10
4	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत बनावस मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य।	2.00	0.340	0.10
5	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत घघरानी पुल से सरबडियार मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य।	2.50	0.420	0.10
6	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धौली के अन्तर्गत हनुमान मन्दिर से स्थाली-सोखन मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	39.25 (29.25 + 10.00 उत्तरखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
7	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत जुणगा से कमारकोट हल्का वाहन मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य।	5.00	7.25	0.10
	योग:-	46.50 + 01	146.06	0.70

(कुल रु सत्तर हजार मात्र)

21/5/14
(सहिमा)
अनु सचिव

Attested true copy
अपर सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
थत्पूड (टी०ग०)